विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

रूचि की अभिव्यक्ति

रैगिंग विरोधी (एन्टी रैगिंग) हैल्पलाइन 24X7 के परिवीक्षण हेतु गैरसरकारी संगठन गैर सरकारी अभिकरण (NGO/NGA) के चयन हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (EOI) का आमंत्रण

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, पंजीकृत गैरसरकारी संगठनों (NGO)/गैरसरकारी अभिकरणों से रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन एवं सहसंबद्ध डाटाबेस का परिवीक्षण करने हेतु रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करता है। NGO/NGA से अपेक्षा की जाती है कि वे भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील सं. 887/2009 के निर्देशानुसार एवं यूजीसी, अन्य सांविधिक परिषद एवं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रैगिंग संबंधी घटनाओं हेतु गठित समिति, सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के गैरअनुपालन एवं यूजीसी के रैगिंग विरोधी विनियम के उल्लंघन के संबंध में सूचनाएं प्रदान करें।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ऐसे प्रतिष्ठित NGO/NGA से EOI आमंत्रित करता है जो सामाजिक क्षेत्रों में अधिमानतः शैक्षिक संस्थानों में व्याप्त रैगिंग की समस्या का निराकरण करने का दक्षतापूर्ण अनुभव रखते हों। उस NGO/NGA के पास राष्ट्रीय स्तर/ पैन भारतीय अभियान चलाने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव हो। जिन्हें सरकार में राष्ट्रीय स्तर/ गैर सरकारी कार्यक्रमों में समरूप कार्य करने का पूर्व अनुभव हो, उन्हें प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन NGO/NGA को वरीयता प्रदान की जाएगी जिनके पास पर्याप्त एवं सक्षम मानव संसाधन विद्यमान हैं या जिनके पास समरूप गतिविधियों में समरूप कार्यों के लिए विख्यात अनुभवी स्वयंसेवी उपलब्ध हैं, ऐसे NGO/NGA निर्धारित प्रारूप में विस्तृत स्वीकार्य नियमों एवं शर्तों एवं अपने पास उपलब्ध मानव संसाधन संबंधी विवरण सहित रैगिंग विरोधी प्रकोष्ठ, यूजीसी, नई दिल्ली-110001 को सीलबंद लिफाफे में, जिसके ऊपर उपरोक्त स्पष्टतः अंकित हो, आवेदन भेजें। रैगिंग विरोधी गतिविधियों के परिवीक्षण हेतु NGO/ अभिकरण कं चयन हेतु EOI अंतिम तिथि या ई-मेल आदि द्वारा प्राप्त EOI को सरसरीतौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। चयनित अभिकरणों को उनके विस्तृत प्रस्तावों को नियत अवधि के दौरान प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा। यूजीसी को किसी भी/समस्त EOI को अस्वीकार करने का अधिकार होगा, जो इस आमंत्रण के प्रत्युत्तर में भेजी गई हैं, तथा इस विषय में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

* EOI, अग्रणी समाचारपत्रों में प्रकाशन की तिथि के 21 दिन के भीतर उप सचिव (ARC) के पास अवश्य पहुँच जाने चाहिए।

अनुलग्नक– I

संस्थानों के अखिल भारतीय स्तर के डाटाबेस एवं रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन के परिवीक्षण हेतु NGO/NGA की नियुक्ती संबंधी विचारार्थ विषय

(क) प्राथमिक कार्य

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय की सिविल अपील सं. 887/2009 के निर्णयानुसार चयनित NGO/NGA से निम्न कार्य अपेक्षित हैं:

(i) माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपील सं. 887/2009 में दिए गए निर्देशों के गैरअनुपालन एवं यूजीसी एवं अन्य सांविधिक परिषद् के विनियम के उल्लंघन के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रैगिंग संबंधी घटनाओं हेतु गठित समिति एवं यूजीसी के विनियामक निकायों को सूचनाएँ प्रदान की जाएँगी।

(ii) प्रत्येक छात्र एवं उसके अभिभावकों/सरंक्षकों द्वारा प्रस्तुत किये गये शपथ पत्रों में से डाटाबेस निर्मित किये गए हैं तथा भारत में स्थित सभी संस्थानों ने इलैक्ट्रॉनिक विधि द्वारा उनका भंडारण लिया है।

(iii) संबंद्ध संस्थानों द्वारा रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन के डाटाबेस आधार पर प्राप्त एवं अग्रसारित की गई शिकायतों के बारे में उन संबद्ध संस्थानों ने कौन से उचित कदम उठाये हैं, तथा उनकी क्या स्थिति है।

(iv) NGO/NGA सभी प्राथमिक एवं संबद्ध गतिविधियों की रिपोर्ट यूजीसी को प्रत्येक पखवाड़े पर प्रेषित करेंगे।

(ख) संबद्ध गतिविधि (सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार)

(i) क्या शैक्षिक संस्थानों ने अनुशासन का वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया है क्या शैक्षिक संस्थानों ने इस आशय का स्पष्ट संदेश दिया है कि रैगिंग के किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा तथा रैगिंग का कोई भी कृत्य सूचना से रहित अथवा दण्ड रहित नहीं रहेगा।

(ii) क्या संस्थानों ने ऐसी विवरणिका एवं अन्य दस्तावेजों के प्रकाशनार्थ आवश्यक कदम उठाये हैं तथा जिनमें रैगिंग के लिए दण्ड निर्धारित किये जाने के बारे में निर्दिष्ट किया गया है, क्या छात्रों एवं अन्य संबद्ध

व्यक्तियों के मध्य इनका प्रचार-प्रसार किया गया है।

(iii) क्या संस्थानों ने छात्रों के अभिभावकों से इस आशय का एक आश्वासन प्राप्त किया है कि छात्रों के दोषी पाये जाने पर वे दण्ड के भागीदार होंगे।

(iv) क्या संस्थान द्वारा ऐसी प्रचार सामग्री तैयार की गई है, जिसमें रैगिंग विरोधी उपायों को दर्शाया गया है तथा अध्यापकों, संस्थानाध्यक्षों एवं अन्य प्राधिकरणों द्वारा नए दाखिला प्राप्त छात्रों को इसकी सूचना सुलभ कराने का प्रयास किया गया है ताकि उन छात्रों के मन में सुरक्षा की भावना बनी रहे। (Proctorial Committee)

(v) क्या ऐसी अभिकर्ता समिति, जिसमें वरिष्ठ संकाय सदस्य, वार्डन इत्यादि सम्मिलित हों तथा रैगिंग की घटनाओं पर, समय पर कार्रवाई करने एवं निरंतर सतर्कता बनाये रखने के लिए संस्थान द्वारा गठित की गई यह समिति सही स्थान पर कार्यरत है।

(vi) क्या दोषी संस्थान एवं संस्थानों के भीतर दोषी पाये गये सेवारत प्राधिकारियों के विरूद्ध रैगिंग को रोकने एवं उसका निराकरण करने में असफल रहने पर क्या कोई कार्रवाई की गई है।

(vii) क्या संस्थान ने 'नये दाखिला प्राप्त' छात्रों के लिए उनके आवास स्थल एवं पर्याप्त एवं प्रभावी सुरक्षा उपलब्ध करायी है तथा क्या ऐसे आवास के लिए नियमित प्रवेश एवं विनिर्दिष्ट घंटों के पश्चात वरिष्ठजनों का प्रवेश निषेध किया है।

(viii) रैगिंग एवं रैगिंग के लिए उकसाने वाले उन अनजान व्यक्तियों के बारे में संस्थान द्वारा सामूहिक जुर्माना लागू करने के संबंध में क्या कार्रवाई की गई है, जिससे रैगिंग करने वालों को भयभीत किया जा सके।

(ix) 'नए दाखिला प्राप्त' छात्रों एवं उनके वरिष्ठजनों के मध्य निरंतर अंतराल पर अन्योन्यक्रिया सत्रों के बारे में की गई कार्रवाई, जिससे दोनों पक्षों के मध्य आत्मविश्वास की भावना जाग्रत हो तथा साथ ही प्रतिभा का प्रदर्शन करने के सुअवसर प्राप्त हों।

(x) रैगिंग के जोखिमों का निराकरण करने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गए निर्देशों के अतिरिक्त, संस्थान द्वारा तरीके एवं उपाय को सूत्रबद्ध करने के लिए की गई कार्रवाई।

(xi) रैगिंग की लाइलाज घटनाओं एवं संगीन आपराधिक घटनाओं के संबंध

में संस्थान द्वारा की गई कार्रवाई तथा ऐसे मामलों को पुलिस के संज्ञान में लाना ताकि एक सुधारात्मक प्रवृति जाग्रत हो। न कि उन छात्रों के साथ अपराधियों के सदृश व्यवहार किया जाए।

उपरोक्त परिवीक्षण संबंधी गतिविधियाँ सुझाव के रूप में दर्शायी गई है। इस संबंध में, विस्तृत परिवीक्षण गतिविधियों को RFP में सूचित किया जाएगा।

(ग) **अभिकरण द्वारा TOR पर की गई टिप्पणियाँः**

अभिकरण, उपरोक्त TOR पर अपनी टिप्पणियाँ, यदि कोई हैं, TOR के प्रारूप में प्रस्तुत करेगा।

(घ) **कवरेजः**

परिवीक्षण कार्य, सभी राज्यों/भारत के संघशासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जाना अपेक्षित है। परिवीक्षा के इस उद्देश्य के अंतर्गत, वे सभी शैक्षिक संस्थान आवृत्त होंगे, जो यूजीसी के विचाराधीन हैं। कवरेज की प्रतिशतता को अभिकरण द्वारा EOI में प्रस्तावित किया जा सकता है।

(ड.) **संलिप्तता की अवधिः**

चयनित अभिकरण पर प्रारंभ में, एक वर्ष की नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा जिस अवधि को कार्य निष्पादन/अपेक्षा के आधार पर विस्तारित किया जा सकता है।

अनुलग्नक- II

"रैगिंग विरोधी हेल्पलाइन 24X7 का परिवीक्षण एवं मूल्याँकन "हेतु NGO/NGA द्वारा EOI भेजने संबंधी विस्तृत अपेक्षाएँ एवं प्रणाली का विवरण

खण्ड कः संगठनात्मक विवरण

(1) लघु टिप्पणियाँ/तालिकाएँः

(i) संगठन संबंधी
(ii) स्वरूप
(iii) स्थापना तिथि (साक्ष्य सहित)
(iv) अनुभव वर्ष
(v) सदस्यों की सूची
(vi) सामाजिक एवं संबद्ध क्षेत्रकों में उपलब्ध करायी जाने योग्य सेवाओं का विस्तार, अधिमानतः शैक्षिक संस्थानों उपलब्ध में रैगिंग संबंधी परिवीक्षण एवं मूल्याँकन

(2) विभिन्न गतिविधियों का विभाजन (यदि किया गया है तो)

(3) वृहत् पैमाने पर परिवीक्षण एवं मूल्यांकन का निष्पादन करने के लिए दल का गठन।

(4) व्यावसायियों, सूचीगत प्रतिष्ठित स्वंयसेवियों या समान गतिविधियों में अनुभवी व्यक्तियों की सूची एवं संक्षिप्त विवरण।

(5) कार्यालयों/केन्द्रों/क्षेत्रीय इकाइयों आदि की सूची, जिसे अधिमानतः अखिल भारतीय आधार पर आवश्यकतानुसार एवं प्रस्तुत प्रारूप के अनुसार दर्शाया जाना है।

क्र.सं.	शहर/राज्य का नाम	संपर्क व्यक्ति का नाम, पता, दूरभाष, फैक्स, ई मेल	उपलब्ध प्रत्यायोजित स्टाफ, फील्डस्टाफ सहित	उपलब्ध अवसंरचनात्मक सुविधाएं (संक्षेप में)
1.				
2.				
3.				
4.				

नोटः (i) कृपया यथावश्यक कॉलम जोड़ें:

(ii) अभिकरण का कार्यालय अनिवार्य रूप से दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होना चाहिए। यदि उस का कोई कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं है, तो उस स्थिति में एक आश्वासन पत्र दिए जाने के लिए अनुरोध किया जाए कि जैसे ही अभिकरण को कार्य सौपा जाता है, उसके तुरंत पश्चात् समस्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं सहित कार्यालय खोल दिया जाएगा।

(6) कोई भी अन्य विवरण (यदि संगठन द्वारा प्रस्तुत किया जाना वांछित हो)

खण्ड खः राष्ट्रीय स्तर के परिवीक्षण एवं मूल्याँकन गतिविधियों के संचालन का तीन वर्ष का अनुभव

(1) NGO/NGA अभिकरण, तीन वर्ष का अनुभव समर्थित दस्तावेजों यथा सदस्यों से अवार्ड एवं कार्यसंपन्नता पत्र की प्रतियों सहित, आवश्यक रूप से निम्न प्रारूप अनुसार दर्शायेगाः

गत तीन वर्ष की अवधि में सामाजिक एवं संबद्ध क्षेत्रकों में संपन्न कार्य के परिवीक्षण एवं मूल्याँकन का विवरणः

(क) क्षेत्रक का नामः.....

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	सदस्यों का नाम	कार्य की लागत (₹)	प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	यदि साक्ष्य संलग्न है (हाँ/नहीं)

(ख) क्षेत्रक का नामः.....

क्र. सं.	परियोजनाओं का नाम	सदस्यों का नाम	कार्य की लागत (₹)	प्रारंभ करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की तिथि	यदि साक्ष्य संलग्न है (हाँ/नहीं)

नोटः (i) यदि अनुप्रयोजनीय होः अन्य क्षेत्रकों में कॉलम जोड़े,

(ii) यदि अनुभव का साक्ष्य संलग्न नहीं किया गया है तो माना जाएगा कि उस संगठन के पास उपरोक्त में दर्शाये विवरणानुसार संबद्ध कार्य को करने का कोई अनुभव नहीं है।

(2) कोई अन्य विवरण (यदि संगठन उसे प्रस्तुत करना चाहे) कृपया पृथक शीट जोड़ें, यदि आवश्यक हो तो।

(3) TOR पर टिप्पणियाँः वर्तमान कार्य संबंधी कोई विचारार्थ विषय है तो अभिकरण अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करे।

(4) अभिकरण द्वारा अखिल भारतीय आधार पर, संदर्भानुसार कार्य निष्पादन हेतु कार्य विधि पर संक्षिप्त आलेख।

खण्ड गः

(1) गत तीन वर्ष के दौरान वित्तीय क्षमता एवं टर्न-ओवर :

क्र. सं.	वित्त वर्ष	कुल आय/टर्न ओवर (₹)
1.	2009-10	
2.	2010-11	
3.	2011-12	

नोटः उपरोक्त टर्न ओवर विवरण, सापेक्ष साक्ष्य द्वारा समर्थित होना चाहिए। टर्न ओवर को साक्ष्य द्वारा निम्नवत दर्शाया जा सकता हैः

खण्ड घः

क्र. सं.	प्रमुख व्यवसायियों के नाम	शैक्षिक योग्यता	समान प्रकृति की परियोजना की संख्या	संक्षिप्त अनुभव (*)

नोटः (*) आत्म विवरण भी संलग्न किया जाए।

(i) लेखापरीक्षित तुलन पत्र एवं लाभ एवं हानि लेखों की प्रतियां एवं सनदी लेखकार द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित आय एवं व्यय लेखा।

(ii) कोई अन्य साक्ष्य (यदि उपलब्ध हो, अनिवार्य नहीं) यथा उपयुक्त नामतः लेखापरीक्षक की रिपोर्ट, आई टी आर की प्रतियाँ इत्यादि।

(iii) टर्न ओवर केवल अभिकरण के नाम में ही होनी चाहिए, न कि ग्रुप कंपनी के नाम में। यदि उस ग्रुप के टर्न ओवर के संबध में कोई परिर्वतन है, तो उसे उस समय तक विचाराधीन नहीं रखा जायेगा जब तक कि EOI के साथ दस्तावेज़ के रूप में वे साक्ष्य संलग्न न हों जिनमें EOI के अन्तर्गत विचार करने के लिए की गई व्यवस्था को दर्शाया गया हो।

(EOI में रूचि प्रकट कर रहे अभिकरण अपने संगठन के शीर्षनामे के ऊपर एक प्रमाणपत्र संलग्न करें जो निम्न प्रारूप के अनुसार हो।)

"24X7 आधार पर एन्टी रैगिंग हेल्पलाइन परिवीक्षण एवं मूल्यांकन" हेतु रूचि की अभिव्यक्ति"

प्रमाण–पत्र

मैं, ... इस संगठन में .....पद पर कार्यरत हूँ तथा यह प्रमाणप्रत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत हूँ, प्रमाणित करता हूँ किः

(क) हमने, इस विज्ञापन का समस्त विवरण एवं संबद्ध EOI के लिए तमाम दस्तावेज़ों को पढ़ लिया है तथा हम इस EOI के अनुसार पात्रता संबधी समस्त मानदण्डों को पूरा करते हैं।

(ख) अपने EOI के साथ हमने सभी सापेक्ष दस्तावेज़ संलग्न कर दिये हैं।

(ग) रिकार्ड के अनुसार, हमारे EOI के विवरण एवं अन्तर्वस्तु अधिप्रमाणित है एवं हमारे अभिकरण द्वारा निष्पादित वास्तविक रिकॉर्ड पर आधारित है।

(ड़) हमने यह समझ लिया है कि ऐसा पाया जाने की स्थिति में कि हमारी एजेन्सी किसी निर्धारित मानदण्ड को पूरा नहीं कर रही है अथवा सापेक्ष विवरण/समर्थन करने वाले दस्तावेज संलग्न नहीं किए गए हैं, तो अपने स्पष्टीकरण के लिए हमें समय प्रदान नहीं किया जाएगा तथा EOI में मौजूद दस्तावेज़ों के आधार पर ही इसका मूल्यांकन किया जाएगा।

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम .....

पद.....

(कृपया रबड़ की मोहर लगाये)

तिथिः

EOI भेजने के लिए अभिकरण हेतु दिशानिर्देश

1. EOI भेजते समय अभिकरण अपने शीर्षनामे के ऊपर एक पत्र अवश्य संलग्न करें।

2. EOI को निर्धारित समय के भीतर सीलबद लिफाफे में भेजें। इनका मूल्यांकन कड़ाईपूर्वक निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाएगा। अतः EOI भेजने से पूर्व बोली लगाने वाले अभिकरण आश्वस्त रहें कि योग्यता के समस्त मानदण्डों पर वे पूरे उतरते हैं। इनका मूल्यांकन करने हेतु अनुभव संबंधी साक्ष्य, कार्यालय व्यवस्था इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण मांगे गये अनुसार संलग्न किया जाए।

3. इस दस्तावेज में संलग्न प्रारूपों के अनुसार सारा विवरण क्रमवार भेजा जाए। भेजी जाने वाली सूचना इस प्रकार प्रस्तुत की जाए कि वह EOI के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत अपेक्षानुसार हो तथा स्वविवेचनात्मक हो।

4. खण्ड–ग में दर्शाया गया टर्नओवर भारतीय ₹ में हो तथा वह तुलनपत्र/लाभ एवं हानि लेखा एवं भुगतान खातों में दर्शायी गयी राशियों के समानुरूप हो। दस्तावेज के टर्न ओवर वाले सापेक्ष अंश पर विशेष बल दिया जाए।

5. यदि किसी स्थिति में अपेक्षित दस्तावेज/साक्ष्य संलग्न नहीं किये गये तो EOI अस्वीकार कर दी जाएगी तथा कोई भी स्पष्टीकरण/पूछताछ नहीं की जाएगी।

6. EOIs प्राप्त करने की अंतिम तिथि का अनुपालन कड़ाईपूर्वक किया जाएगा। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाली EOIs को खोला नहीं जाएगा तथा उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। तथापि, यदि अंतिम तिथि एक अवकाश के रूप में घोषित कर दी जाती है तो उससे अगले दिवस कार्यालय खुलने पर उसी दिन को EOIs प्राप्त करने की अंतिम तिथि के रूप में माना जाएगा। EOIs को व्यक्तिगत रूप से भी कार्यालय में प्राप्त किया जा सकता है। फोन/ फैक्स/ ईमेल पर की गयी याचना कि EOIs मार्गस्थ है एवं डाक में विलम्ब के पश्चात भी स्वीकार कर ली जाए, पर विचार नहीं किया जाएगा। अभिकरण के हित में सुझाव दिया जाता है कि EOIs की प्राप्ति की अंतिम तिथि से बहुत पहले ही इसे भेज दिया जाना चाहिए। किसी भी डाक/कोरियर विलम्ब के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिम्मेदार नहीं होगा।

योग्यता मानदण्ड के अनुपालन हेतु जाँच सूची

क्र.सं.	योग्यता मानदण्ड	अपेक्षित साक्ष्य	जाँच सूची	पृष्ठ संदर्भ
1.	NGO/NGA, कंपनी अधिनियम (1956), अनुच्छेद 25/सार्वजनिक न्याय/सोसायटी अधिनियम, 31.03.2013 तक की स्थिति के अनुसार न्यूनतम 5 वर्ष की अवधि के लिए भारत में पंजीकृत हों।	निगमन/पंजीयन के प्रमाणपत्र की प्रति	हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या << >>
2.	NGO/NGA के पास गत तीन वर्षो (2009-10, 2010-11 एवं 2011-12) का रैगिंग विरोधी गतिविधियों के निरन्तर परिवीक्षण का अनुभव होना चाहिए।	NGO/NGA एक स्व घोषणा प्रस्तुत करेगा जो बोली लगाने वाले प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित होगी	हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या << >>
3.	NGO/NGA के पास गत तीन वित्त वर्षो (2009-10, 2010-11 एवं 2011-12) के दौरान प्रति टर्न ओवर औसत कम से कम 2 करोड़ होना चाहिए।	गत तीन वित्तीय वर्षो के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (समग्र टर्नओवर दर्शाते हुए)	हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या << >>
4.	अ. ऐसे NGO/NGA के पास, पर्याप्त एवं सक्षम मानव संसाधन उपलब्ध होने चाहिएं जिनमें व्यवसायी एंव स्वयंसेवी भी सम्मिलित हों। ब. ऐसे NGO/NGA के पास पणधारियों के विशाल डाटाबेस के निर्माण एवं अनुरक्षण में विशेषज्ञता होनी चाहिए।	अ. उपलब्ध मानव श्रम, योग्यताओं एवं अनुभव सहित ब. उपलब्ध मानव श्रम, सापेक्ष योग्यताओं एवं अनुभव सहित	हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या << >>

5.	NGO/NGA के अंतर्गत समस्त भारत के राज्य एवं समस्त संघशासित प्रदेश आवृत्त होने चाहिएं	NGO/NGA के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित स्व–घोषणा	हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या << >>
6.	NGO/NGA के कार्यालय दिल्ली/नई दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्थित होने चाहिएं।	CRM/Helpline के प्रयोक्ताओं के दर्शाये गये नम्बर हेतु सदस्य द्वारा सत्यापित दस्तावेजी साक्ष्य, प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व–प्रमाणित	हाँ/नहीं	पृष्ठ संख्या << >>